एनएमसी रिश्वतखोरी के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

- दो का जमानत आवेदन पहले ही खारिज हो चुका
- सीट बढ़ाने 55 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप

रावतपुरा मेडिकल कालेज में सीट बढ़ाने 55 लाख रिश्वत लेकर ओके रिपोर्ट देने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को जेल में बंद चार आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। दो लोगों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। बचाव पक्ष के वकील ने जमानत आवेदन पेश करते हुए आरोपियों के दूसरे स्टेट के होने तथा सीबीआई जांच में सहयोग की बात का उल्लेख करते हुए जमानत आवेदन पेश किया था। रिश्वत मामले में ▶▶| शेष पेज 13 पर

यह है पूरा मामला

रावतपुरा मेडिकल कालेज का निरीक्षण करने पहुंची एनएमसी की चार सदस्यी टीम 30 जून को रायपुर आई थी। आरोप है कि निरीक्षण टीम के साथ रावतपुरा मेडिकल कालेज के डायरेक्टर ने षड़यंत्र कर सीट बढ़ाने रिश्वत की पेशकश की थी। इसके बाद निरीक्षण टीम के सदस्यों के पास हवाला रैकेट के माध्यम से निरीक्षण टीम के सदस्यों के पास 55 लाख रुपए पहुंचाए गए।